

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-04/10/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत गुलबीघाट, बासघाट एवं खाजेकला विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने के लिए मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹107.97300 लाख में से विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹53.98650 लाख की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 के क्रमांक- 05, 06 एवं 07 द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 द्वारा ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र आवंटित किया गया था।

2. नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम के पत्रांक- 5644, दिनांक- 14.07.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 द्वारा उक्त योजना के लिए आवंटित राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की गई है। कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना के पत्रांक- 602, दिनांक- 19.03.2018 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण-पत्र दिया गया है।

3. उक्त के आलोक में स्तंभ- 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनिकासी की गई राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र स्तंभ- 7 के अनुरूप नागरिक

सुविधा मद से विभागीय राज्यादेश सं०- 70, दिनांक- 04/01/18 के आलोक में तत्काल निम्नवत राशि आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख में)								
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश / आवंटनादेश एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि	कोषागार से अनिकासी की गई राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना नगर निगम	गुलबीघाट विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हार्डट को बढ़ाने का कार्य।	350 / 28.03.17 351 / 28.03.17	50.25000	25.12500	25.12500	25.12500	25.12500
2		बासघाट विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हार्डट को बढ़ाने का कार्य।		29.22300	14.61150	14.61150	14.61150	14.61150
3		खाजेकला विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हार्डट को बढ़ाने का कार्य।		28.50000	14.25000	14.25000	14.25000	14.25000
कुल योग				107.97300	53.98650	53.98650	53.98650	53.98650

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तांतरित किया जायेगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
6. उक्त आवंटित राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
8. उक्त योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 में निहित शर्तों के अनुरूप कराया जाएगा।
9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/वि०श०-23-01/2015 17 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-04/10/18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

अप्त, 2/18

३५५
आन
३१०११८

पत्रांक-2ब०/वि०श०-23-01/2015 70

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय:- पटना, दिनांक-04/01/18
वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत गुलबीघाट, बासघाट एवं खाजेकला विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने के लिए मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹107.97300 लाख में से विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत एवं आवंटित राशि ₹53.98650 लाख की निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 के क्रमांक- 05, 06 एवं 07 द्वारा स्तम्भ- 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 द्वारा ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र आवंटित किया गया था।

2. नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक, पटना नगर निगम के पत्रांक- 5644, दिनांक- 14.07.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 द्वारा उक्त योजना के लिए आवंटित राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी कोषागार से नहीं की गई है। कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना के पत्रांक- 602, दिनांक- 19.03.2018 द्वारा राशि के अनिकासी का प्रमाण-पत्र दिया गया है।

3. उक्त के आलोक में स्तंभ- 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनिकासी की गई राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र स्तंभ- 7 के अनुरूप नागरिक सुविधा मद से निम्नवत स्वीकृत की जाती है :-

(राशि लाख में)								
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश / आवंटनादेश एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि	कोषागार से अनिकासी की गई राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना नगर निगम	गुलबीघाट विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने का कार्य।	350 / 28.03.17 351 / 28.03.17	50.25000	25.12500	25.12500	25.12500	25.12500
2		बासघाट विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने का कार्य।		29.22300	14.61150	14.61150	14.61150	14.61150
3		खाजेकला विद्युत शवदाह गृह के चिमनी के हाईट को बढ़ाने का कार्य।		28.50000	14.25000	14.25000	14.25000	14.25000
कुल योग				107.97300	53.98650	53.98650	53.98650	53.98650

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं

की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तांतरित किया जायेगा।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹53.98650 लाख (तिरपन लाख अनठानवे हजार छः सौ पचास रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910109, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. उक्त योजना का कार्यान्वयन विभागीय राज्यादेश सं०- 350, दिनांक- 28.03.2017 एवं आवंटनादेश सं०- 351, दिनांक- 28.03.2017 में निहित शर्तों के अनुरूप कराया जाएगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/वि०श०-23-01/2015 के पृष्ठ सं०-.....56...../टि० पर दिनांक-27.09.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....57...../टि० पर दिनांक-01.10.2018 को प्राप्त है।

✓

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक-2ब०/वि०श०-23-01/2015 70 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-04/10/18
प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

अ. 12